District	Amount (Rs. in lakh)
Murshidabad	694.630
Malda	427.305
Dakshin Dinajpur	728.790
Uttar Dinajpur	495.060
Cooch Behar	563.946
Jalpaiguri	237.760
Darjeeling	108.360

ताप बिजली घरों को कोयले की कम आपूर्ति

2062. **श्री सोमपाल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या यह सच हैं कि कोयले के कम उत्पादन और इसकी ढुलाई की समस्याओं के कारण देश के विभिन्न ताप बिजली घरों में उपलब्ध कोयले के भण्डार केवल कुछ ही दिनों के लिए पर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन बिजली घरों में कोयले के भण्डारों की वर्तमान स्थिति क्या हैं और इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) देश में अप्रैल- नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि. (को.ई.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सि.को.क.लि.) से विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को वास्तविक रूप में किए गए कोयले के प्रेषण 115.88 मिलियन टन (अनंतिम) रहा, जबकि इस अवधि के लिए लक्ष्य 116.52 मिलियन टन रखा गया था। इस संबंध में लक्ष्य की प्राप्ति 99.45% रही और विद्युत गृहों के पास कोयले का कम स्टाक होने के कारणों में, निम्नलिखित कारणा शामिल हैं:

(1) कोयले का मात्रा की तुलना में अधिक उपभोग, जोकि कोयला कंपनियों द्वारा इन विद्युत गृहो को आपूर्ति किया जाना अपेक्षित हैं।

(2) विद्युत गृहों के स्थलों पर कोयले के उतराई संबंधी अवरोध।

(3) विद्युत गृहों द्वारा कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि की अदायगी न किए जाने के कारण कायेले की आपूर्ति प्रतिबंधित की जा रही हैं।

(4) रेलवे का संचलन संबंधी अवरोध; और

(5) सिं. को.क.लि. में छुटपुट हड़ताल होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हो रही हैं और देश के पूर्वी भागों में कुछ खानों का जलमग्न होना हैं।

(ख) देश में 35 विद्युत गृहों के पास कोयले का कुल स्टाक, जिस पर कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही हैं, यह 12-12-1995 की स्थिति के अनुसार 2.947 मिलियन टन था।

कोयला कंपनियां, कोयले के उत्पादन को अधिकतम किए जाने के प्रयास कर रही हैं और ये इसकी सभी उपभोक्ताओं को आपूर्ति करती हैं, जिसमें विद्युत गृह भी शामिल हैं, जोकि योजना आयोग के साथ किए गए अंतिम रूप के अनुसार की जाती हैं। विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती हैं और इस मामले में एक अंतर-मंत्रालयीय समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती हैं। इस बारे में जहां कहीं भी अपेक्षित होता हैं, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती हैं। किन्तु, कोयले का स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता हैं और विद्युत गृह सहमति हुए स्तर के ऊपर की मांग में हुई किसी तरह की वृद्वि को पूरा किए जाने हेतु आयातों के माध्यम से अपनी आपूर्ति की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। विद्युत का उत्पादन किए जाने का भी विकल्प अब उपलब्ध हैं।

Proposal for creation of separate departments of consumer affairs

2063. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have asked the State Governments to create a